## H.P. STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, ROSIN AND TURPENTINE FACTORY, BILASPUR (HP) PHONE NO.01978-222464

## GSTIN 02AAACH4036L2ZV

Tender Notice

E-Tenders are invited for the following factory works/Jobs/Services for the year 2025-26 on dates mentioned against each. The e-tenders shall be received and opened in the office of G.M.R&T Factory Bilaspur (HP) unto dated and time mentioned below

S. N	Particulars	Approx. (Qty.)	Tender form fee (incl. GST)	Earnest Money	Last date and time of submission of E-tender	Date andtime of opening of E-tender	Date and time of opening of Technical Bid	Date and time of opening of Fiancial Bid
	Feeding of Resin (i.e. issued from resin yard/store and sakki section following sakki analysis) in resin pits including washing dirty and throwing of empty tins at designated place in the factory premises and other allied works as per term and conditions of the E-tender	1600 tin / 4 Rest VATs per day	1475/-	150000/-	05.09.2025 at 1.00 PM	05.09.2025 at 2.00 PM		
2	E-Tender under two cover system (Tecnical Bid in one cover and Price Bid in another cover) are invited from experienced & reputed Manufacturers / experienced suppliers/ Authorized dealers for the Supply of SS 304 Mixing tank and Burner for the Phenyl processing	1 No.each	1475/-	70000/-			05.09.2025 at 2.00 PM	05.09.2025 at 4.00 PM

For Item Sr.No. 1 only from registred LSMs who are ragistred under GST ACT (capable of raising Tax Invoice) are eligible for participation.

For Item Sr.No.2only (a) experienced & reputed Manufacturers / experienced suppliers/ Authorized dealers who are registred under GSF ACT(capable of raising Tax Invoice) are eligible for participation.

(b) First technical bids will be opened by the committee and price bid of only those parties will be opened whose technical bid are approved by the committee. The price bid of those tenderer who's technical bid are rejected will not be accepted/entertained at any stage. The negotations shall be held with L-1 only if required.

Telegraphic/Postal and conditional tenders will not be accepted. If needed, the negotiations will be held only with the lowest tenderer (L-1). For E-tender/s please log on to www.hptenders.gov.in and for terms & conditions of E- tenders please visit on official website www.hpforestco.in

## HIMACHAL PRADESH STATE FOREST DEV. CORPORATION LTD ROSIN & TURPENTINE FACTORY, BILASPUR (HP)

Terms and Conditions of the E-tenders under two cover system invited from Experienced & Reputed Manufacturers / Experienced suppliers/ Authorized dealers for the Supply of Mixing tank (SS 304) and Burner for the Phenyl processing to be opened on 05.09.2025 at 02:00 PM.

- 1. The E-tenders under two cover systems are invited for Supply of Mixing tank (SS 304) and Burner for the Phenyl processing on behalf of the HP State Forest Development Corporation Ltd. Shimla HP.
- 2. Tenderer/s should be registered under GST ACT and capable of raising Tax Invoive. Copy of GSTIN ID, PAN No. and Manufacturer/ Authorized dealer/experienced suppliers certificate und may be uploaded with other documents otherwise e-tender shall not be accepted.
- 3. The cost of tender form Rs. 1475/- (Including GST)/- (One Thousand Four Hundred and Seventy Five Only) shall be received through demand draft in favour of "HP STATE FOREST DEVLOPMENT CORPORATION LIMITED" payable at Bilaspur HP, the scanned copy of Demand draft be uploaded with E-tender. The tenders shall be opened on 05.09.2025 at 02:00 P M in the presence of tenderer/s who wish to remain present during this process. However, process of opening of tenders shall not be postponed or deferred for want of presence of tenderer/s. EMD of the tender shall be of Rs. 70,000/- (Seventy Thousand only) through Bank draft in favour of "HP STATE FOREST DEVLOPMENT CORPORATION LIMITED" payable at Bilaspur HP Tenderer/s shall have to upload scanned copy of DD of required amount of EMD and original DD shall have to be submitted in GM office and got the receipt issued on or before the date & time fixed for opening the tenders.
- 4. The original DD and copy of certificate of GSTIN registration shall have to be submitted by the etenderer in GM office on or before the date and time fixed for opening of tenders. Tenders received without paying of cost of tender form shall not be considered.
- 5. The E-tenders should be uploaded / received at tender website (www.hptenders.gov.in) on or before 05.09.2025 up to 01:00 PM.
- 6. The E- tender must be submitted in two separate covers, one containing the Technical Bid giving all technical details of Mixing Tank (SS 304) and Burner its efficacy, details / drawing /manual of Mixing Tank and Burner, its performance, running cost, technology to be used and details of after sales service including warranty must be filled in proforma no I (attached) and bidders declaration form in proforma II (attached) otherwise technical bid shall not be considered.
  - The second cover should contain price item wise price bid and only total price bid shall be considered for one package of supply. No item wise evaluation will be done and only total price bid shall be considered for declaring L-1.
  - First only technical bids will be opened by the committee and price bid of only those parties will be opened whose technical bid are approved by the committee. In case the finalization of technical bid is not completed on date 05.09.2025 the process shall be continued up to next working day. The price bid of those, tenderer who"s technical bid are rejected will not be accepted / entertained. The negotiation shall be held with L-1 only, if required.
- 7. Telegraphic/ conditional and incomplete tenders will not be accepted.
- 8. The successful tenderer will have to deposit Rs. 70,000/- as security and the EMD amount deposited by successful tenderer shall be adjusted / incorporated in the security. The security deposited will be released after one months on the successful completion of supply. The earnest money of unsuccessful tenderers will be returned to them after opening/finalization of the tender. In case of successful tenderer, the earnest money will be adjusted

- 9. Rates offered in the tender will remain open for 20 days from the date of opening of the tenders.

  10. The Supply of Mixing Tank (SS 304) and Burner have to be completed within 30 days from the date
- of placement of work order. After stipulated period of 30 days only 15 days extension can be granted by GM on account of unavoidable circumstances. If successful tenderer fails to supply Mixing Tank (SS 304) and Burner within above mentioned period then the tender will be cancelled and security amount shall be forfeited in favour of HPSFDC.
- 11. In case of any dispute, jurisdiction of court will be at Bilaspur Himachal Pradesh.
- 12. Basic Rates (Excluding Taxes) should be quoted in lump sump and should be written in word & numbers and should be F.O.R. R&T Factory, Bilaspur HP.
- 13. The invoice/bill of the Supply of Mixing Tank and Burner will be issued on GST Tax Invoice (for taking input tax Credit) under rule of GST ACT. The Bill be prepared in the Name of "Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd R&T Factory Bilaspur. Our GSTIN No. 02AAACH4036L2ZV.
- 14. The undersigned or any competent authority of HP State Forest Development Corporation Ltd. Shimla, reserves the right to reject any or all the e- tenders without assigning any reason.
- 15. The supply of Mixing Tank and Burner as per approved Technical specifications mentioned in Technical Bid. Minor changes in the specifications can be made by mutual consent in writing.
- 16. The negotiation for the rates, if required, will be only with the lowest tenderer L-1
- 17. The Payment will be released after satisfactory report of both supplied items by the inspection committee as per technical speciation constituted by the undersigned for the purpose.

## 18. The Supply of Items as per Technical Specification is given as:

Sr. No.	Item Details	Qty	Specifications
1.	Mixing Tank	1 No.	Type: Vertical Cylindrical Tank (SS 304) with a Cylindrical bottom (SS 310) and Flat top hinged lid(SS 304) having clamps for secure closing.  Volume: Working Volume 500 liters 80-85% of total capacity Dimension: Dia 3.5 feet Height: 3 feet Thickness: 5 mm  Agitator: Top mounted mechanical paddle mixer, motor power rating 3 HP 3 Phase having variable speed control.  Temperature Gauge: 0-300° C Outlet: Bottom position, Size 2", Valve SS 304 Flange type. Surface Finish: Internal mirror polished External Matte Finish.
2.	Burner	1 No.	Forced Draft Diesel Burner: Suitable for Processing of Phenyl with capacity of 500 Liters.  Material: Stainless Steel Head (SS 310), Atomized Nozzle having adjustable spray pattern w.r.t. Mixing Tank.  Mounting: Fixed on a Stable Frame near the bottom of Mixing Tank.  Blower: Centrifugal Blower forced draft, 3 Phase  Fuel Tank: 40 Liters Capacity.  Material and Shape: SS 304 and Cylindrical Shape with mounting Brackets  Outlet: 1/2" BSP threaded connection with shut off valve.

19. TDS etc as per rules will be deducted from the bills of the tenderer.

20. The cost of testing of any material/ job will be borne by the tenderer and Test Certificate for the

portion of Mixing Tanks have to be submitted with supply of items.

21. In the event of failure or default on the part of the firm in completion of the assigned and tendered work, the HP State Forest Development Corporation Ltd. through its General Manager shall be competent to cancel the tender and to take action for forfeiture of security money deposited by the tenderer.

I/we, the undersigned have carefully read and understood all the Terms and Conditions of the Etender and hereby convey my/our acceptance of the same.

Sr. No.

Name of the Firm

Signature

हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड विरोजा व तारपीन कारख़ाना बिलासपुर (हि०प्र०)

फीडिंग ऑफ रेजीन इन रेजीन पिट इसुड फ्रॉम रेजिन स्टोर व रेजिन सक्की एनालिसिस, लिफ्टिंग एंड हीटिंग इन मिक्स बाट एंड लिफ्टिंग टू रेस्ट वाट कम्प्लीट विद फ्लोर बासींग, वाशिंग चैम्बर में टिनों की वाशिंग व क्लीनिंग तथा रेजिन के खाली टीनों को निर्धारित स्थान पर फेंकने, सक्की को गर्म करना, रेजिन इकठा करना, सक्की को रेडे मैं डालकर सक्की सेक्शन मे ले जाकर बजन करना तथा डंपिंग साइड पर ले जाना, रेजिन स्टोर, ट्राली ट्रैक, रेजिन पिट, फर्श, मिक्स वाट नालियों व हौदियों की साफ सफाई इत्यादि के कार्य के करी हेतु दिनांक 05.09.2025 को आमंत्रित निविदा की निबर्धन शर्ते:-

- 1- ई-निबिदा हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड शिमला की ओर से आमंत्रित की जा रही है |
- 2- निबिदा में दिया जाने वाला यह कारखाना का मुख्य कार्य है तथा निविदा देने से पहले निविदादाता को निबिदा की सभी शर्तों का ध्यान पूर्वक पूर्ण जानकारी कर लेना जरूरी है |
- 3- निबिदादाता वन निगम में बतौर लेबर सप्लाई मेट पंजीकृत होना चाहिए व बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत भी पंजीकृत होना चाहिए | निबिदा के साथ अपनी (GSTN ID) की प्रति देनी होगी अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा | सफल निबिदादाता को बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवॉइस पर किये गये कार्य का बिल बना कर हर महीने देना होगा | अन्यथा बिल पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा | लेबर सप्लाई मेट पंजीकरण की वैध प्रति निबिदा के साथ देनी होगी |
- 4- निबिदा प्रपत्र के लिए 1475/- रु. GST सिहत की राशी का बैंक ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय होना चाहिए | ई निबिदादाता को डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी तथा निबिदा खोलने की दिनांक व समय से पहले डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में जमा करवाना होगा | निबिदाएं जिनके लिए यह कीमत अदा नहीं की होगी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 5- ई-निबिदाएं टेंडर वेबसाइट पर दिंनाक <u>05.09.2025</u> को दोपहर बाद 1.00 बजे से पहले प्राप्त हो जानी चहिये |
- 6- निबिदाएं दिनांक <u>05.09.2025</u> को सांयकाल 2.00 बजे खोली जाएगी निबिदादाता जो उपस्थित रहना चाहे उपस्थित हो सकते है |
- 7- निबिदा के लिए धरोहर राशि मु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हज़ार रु.) डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम जारी हुआ हो या एफ डी आर प्लेज की हुई हो तथा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में देय हो, देना होगा | ई-निबिदादाता को ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी ई- निबिदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा ड्राफ्ट मूल रूप से जनरल मेनेजर, रोजिन एवं तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यलय में निबिदा खोलने की निर्धारित दिनांक व समय से पहले जमा

- /
- करवाना होगा अन्यथा निबिदा अस्वीकार कर दी जाएगी। सफल निविदादाता की यह धरोहर राशी कार्यलय में प्रतिभूति राशी के रूप में जमा रहेगी तथा निविदा के तमाम कार्य अवधि के दौरान निविदा की शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप से करने पर बापिस की जाएगी।
- 8- निविदादाता को दरें प्रति टीन के हिसाब से देनी होगी जो की केवल बन कार्य मण्डलों से प्राप्त रेजिन टीनों व उनमें प्राप्त रेजिन की मात्रा (प्रति टिन 18 किलो लगभग) के लिए मान्य होगी व तदानुसार ही अदायगी की जाएगी अगर रेजिन टिनों से रेजिन स्टोर व कारखाना के अंदर या किसी और अन्य जगह पर स्टोर रहने की बजह से लीकेज होती है तो उस लीकेज को भी सफल निविदादाता को ही इकटा करना होगा जिसके लिए भी पर्याप्त मजदुर देने होंगे जिसके लिए कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं की जाएगी तथा इकटी की गई लीकेज को भी सफल निविदादाता को ही फीड करना होगा जिसके लिए भी अतिरिक्त से कोई अदायगी नहीं की जाएगी क्योंकि कारखाना में रेजिन का उत्पादन नहीं होता है तथा यह मात्रा वन कार्य मंडलों से प्राप्त रेजिन टिनों में ही शामिल है | यदि न्यूनतम निविदादाता की दरे उचित नहीं होगी तो समझौता वार्ता केवल न्यूनतम निविदादाता से ही की जाएगी |
- 9- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को विना कारण वताए रद कर सकते है। सशर्त एबं अधूरी वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी | केवल अनुक्रियाशील निविदाएं ही स्वीकार की जाएगी |
- 10- सफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में परिवर्तन कर दी जाएगी और समाप्त होने तक कार्यालय मे जमा रहेगी तथा यह राशि टैंडर की अवधि समाप्त होने व संतोष कार्यापूर्ति पर विना व्याज वापिस लौटा दी जाएगी | असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जाएगी |
- 11-स्वीकृत दरो पर कार्य करने की अवधि 31.03.2026 तक होगी | अगर नई निविदा की स्वीकृति किसी कारणवश 31.03.2026 तक नहीं होती है तो 31.03.2026 के बाद भी नई निविदा की स्वीकृति होने तक इन्ही स्वीकृत दरो पर कार्य करना होगा | सफल निविदादाता द्वारा निविदा के नियम व शर्तों के पालन न करने के कारण या बिशेष परिस्थितीयों के कारण या कारखाना मैं रिक्त पदों को भरने के कारण, दिये गए कार्य को अवधि समाप्त होने से पहले भी रद्द किया जा सकता है |
- 12-निविदादाता को कार्य का भुगतान एलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे अपना बैंक सेविंग खाता प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा |
- 13- सफल निविदादाता को निविदा कार्य की अवधि के दौरान तीन शिफ्टों के लिए प्रतिदिन कम से कम 1600 रेजीन टीन / 4 रेस्ट बाट लगातार दो दिन भरने होंगे व तीसरे दिन 2000 रेजिन के टिन / 5 रेस्ट वाट भरने होंगे तथा दो शिफ्टों में उत्पादन के लिए प्रतिदिन कम से कम 1200 रेजिन टीनों के फीडिंग करनी होगी | कारखाना की मांग अनुसार यह कम या ज्यादा भी करवाई जा सकती है | वर्ष 2025-26 में अनुमानित तीन लाख रेजिन टिनों की फीडिंग करनी होगी कार्य की मात्रा अनुमानित है जो कि घट या बढ़ सकती है | किसी कारणबश रेजिन फीडिंग का कार्य कम या ज्यादा भी करवाया जा सकता है | रेजिन की अगर कम फीडिंग करवाई जाती है तो इसके लिए ठेकेदार को कोई क्लेम या मुआवजा नहीं दिया जायेगा |
- 14-निबिदा के तहत दिया जाने वाला हर कार्य सफल निविदादाता को निर्धारित स्टीम सड्युल अनुसार करना होगा |
- 15- सफल निबिदादाता अपने सभी मजदूरों की सूचि उनके गृह पते, आयु व पहचान प्रमाण पत्र के नम्बरों सिहत स्वयम द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय में देना होगा उसके

उपरांत ही कारखाना में काम करने की अनुमित दी जाएगी | मजदूरों की वर्तमान व भूतकाल की श्रम कानून सम्बन्धी सभी जिमेवारियां सफल निबिदादाता की ही रहेगी | अगर सफल निबिदादाता कार्य के लिए प्रवासी मज़दूरों को उपलब्द करवाएगा तो प्रवासी मज़दूरों का सत्यापन पुलिस से करवाना पड़ेगा तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में देनी होगी उसके उपरांत ही प्रवासी मज़दूरों को कारखाना में काम करने की अनुमित दी जायेगी |

16-सफल निबिदादाता को महाप्रबंधक या मनोनित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशों के

अनुसार ही कार्य करना होगा |

17-यदि सफल निबिदादाता किसी कार्य को करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा कारवाई गई धरोहर राशि वन निगम के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी |

18-आयकर सेक्शन -194 के तहत हर बिल से काट लिया जाएगा |

- 19-ठेकेदार को अपने मजदूरो का बीमा किसी अपयुक्त कम्पनी से पालसी लेकर करवाना होगा | यह मौजूदा कानून के मुताबिक है |
- 20-किसी प्रकार का बिवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्रधिकार बिलासपुर हि ०प्र० होगा ।
- 21- किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबन्ध निर्देशक हि०प्र० राज्य निर्देशक हि०प्र० राज्य वन विकास निगम सीमित शिमला का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षो को मान्य होगा |
- 22- अगर कारखाना में तीन शिफ्टों में उत्पादन किया जाना हो तो सफल निबिदादाता को केवल रेजिन फीडिंग के कार्य पर कम से कम 20 मजदूर रखने होंगे अगर दो शिफ्टों में उत्पादन हो तो कम से कम 16 मजदुर कार्य पर रखने होंगे तथा कम से कम दो पिट प्रतिदिन हर कार्यदिवस को सुबह 11 बजे तक रेजिन से भरने होंगे तथा उसके बाद दो या तीन पिट शाम 05.30 बजे तक भरने होंगे अगर सफल निबिदादाता है स क्रम अनुसार पिट भर कर उपलब्द करवाने में असफल रहता है तो कम उपलब्द करवाये रेजिन के पिटों के लिए प्रति पिट प्रतिदिन 3000/- रूपये के हिसाब से माह के अंत में पेनल्टी लगाई जाएगी व दी जाने वाली किसी भी राशी से बसूल की जाएगी | सफल निबिदादाता को कम से कम दो मिक्स बाट रेजिन दूसरी शिफ्ट में रेस्ट वाट्स में चढ़ाने होंगे। सफल निबिदादाता को अपने सभी मजदूरों के परिचय पत्र जिला रोजगार अधिकारी से लेने होंगे व हर एक निबिदादाता को अपने सभी मजदूरों के परिचय पत्र जिला रोजगार अधिकारी से लेने होंगे व हर एक मजदुर के परिचय पत्र की प्रति कार्यालय में देनी होगी अन्यथा कारखाना के अंदर काम करने की अनुमित मजदुर के परिचय पत्र की प्रति कार्यालय में देनी होगी अन्यथा कारखाना है तो कम मजदूरों के लिए नहीं दी जाएगी | अगर सफल निबिदादाता कम मजदुर उपलब्द करवाता है तो कम मजदूरों के लिए 500/- रु प्रति मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी व सफल निबिदादाता के संबधित मासिक बिल से राशी काट ली जाएगी |

23-अगर रेजिन पिट के फर्श , ट्राली , टिन वाशिंग , नालियों व हौदियों इत्यादि की साफ सफाई से इकठा किये रेजिन को सफल निबिदादाता समयानुसार / आदेशानुसार फीड नहीं करता है और रेजिन कठोर हो जाता है तथा प्रोसेसिंग के काबिल नहीं रहता है तो उस रेजिन की मात्रा के लिए , रेजिन का जो मूल्य निर्धारित किया होगा उस अनुसार पेनल्टी लगाई जाएगी तथा सफल निबिदादाता को देय किसी भी राशी से हम दी जाती।

24-सफल निबिदादाता द्वारा टीनों को रेजीन यार्ड में ट्रौली लोड करके रेजीन पिट के पास उतार कर टीनों को उपर से काट कर रेजीन पिट में डालना होगा रेजिन पिट के समीप सफाई की वाशिंग ,क्लीनिंग /करनी होगी, खाली टीनों की सफाई वाशिंग चैम्बर में करनी होगी, वाशिंग ट्राली से रेजिन को टीनों में भर कर रखना होगा तथा बिरोजा रहित टीनों को बाहर बताए स्थान पर रखना होगा, मिक्स वाट में रेजीन

चढाना तथा गर्म करना व ग्रेविटी फिल्टरों में फिल्टर करना ,रेजीन रेस्ट वाट्स की सफाई आदि सभी कार्य करने होंगे। यह कार्य सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक पूर्ण करना होगा | रेजिन रेस्ट वाट तक रेजिन भरने / पंहुचाने के सभी कार्य जिसमें हर साफ सफाई , रेजिन डर्टी / वाशिंग ट्राली डर्टी की ड्रेनिंग या कोई और कार्य या साफ सफाई इत्यादि के सभी कार्य ठेकेदार को ही करने होंगे | नालियों इत्यादि की सफाई भी ठेकदार को रोजाना करनी होगी | साफ सफाई के लिए हर कार्यदिवस को पूर्ण समय के लिए दो मजदुर उपलब्द करवाने होंगे जो की रेजिन फीडिंग के लिए उपलब्द करवाए मजदूरों से अतिरिक्त होंगे तथा मिक्स वाट , रेजिन पिट , नालियों , हौदियों व अन्य फर्श इत्यादि की साफ सफाई के लिए होंगे | रेजिन टिनों की सफाई वाशिंग चैम्बर में की जाएगी जिसके लिए तीन मजदूर प्रतिदिन कार्य के पूर्ण समय के लिए उपलब्द करवाने होंगे जो खाली टिनों की वाशिंग चैम्बर में सफाई करेंगे तथा सफाई उपरांत रेजिन रहित टिनों को निर्धारित स्थान पर फेंकेंगे तथा वाशिंग ट्रोली या फर्श या नाली से रेजिन को इकठा करके टिनों में भर कर निर्धारित स्थान पर एखना होगा |अगर साफ सफाई व वाशिंग चैम्बर के लिए प्रतिदिन हर कार्यदिवस में मजदूर उपरोक्तानुसार उपलब्द नहीं करवाए जायेंगे तो 500/- रूपये प्रति मजदुर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी |

25-ठेकेदार को कच्चे बिरोजे के टिन काटने सम्बन्धी औज़ार स्वयं उपलब्ध करने होंगे |

26-ठेकेदार को अपने मजदूरों के वेतन की अदायगी प्रति माह समयनुसार , कारख़ाना प्रबन्धक या उन द्वारा अधिकृत कर्मचारी के समक्ष करनी होगी, ताकि मौजूदा कानून का पालन हो |

27- निविदा की स्वीकृति मिलने के पाँच दिनों के भीतर निविदादाता को इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि हि॰प्र॰ स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के बाद ही सफल निविदाता को कार्य आबंटित किया जाएगा।

28- सफल निबिदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य पर देय कर, समय अनुसार सरकारी नियमों के मुताबिक सफल निबिदादाता को स्वयं देने होंगे तथा सभी नियमों का पालन करना होगा |

29-ठेकेदार को अपने सभी मजदूरों के स्वस्थ्य की चिकित्सा जांच स्वास्थ्य विभाग या रिजस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर के द्वारा करवानी होगी | मजदूरों के स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के मांगने पर पेश करना होगा |

30-लेबर एक्ट 1970 के तहत ठेकेदार को संबन्धित अधिकारी से मजदूरो को पंजीकृत करवाना होगा यह कार्य उसे कारख़ाना मे काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर करवाना होगा तथा कार्य से संबन्धित कोई भी रिटर्न समय पर देनी होगी |

31- अगर सफल निबिदादाता का अपना भविष्य निधि कोड नंबर नहीं होगा तो उसे वर्क आर्डर मिलने की तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेना होगा तथा उसकी सुचना प्रति सहित कार्यालय में देनी होगी तथा अपने सभी मजदूरों की ई॰पी॰एफ॰ अपने हिस्से के साथ सभी रिटनों सहित ई॰पी॰एफ॰ अथौरिटी के पास नियमानुसार हर माह जमा करवानी होगी तथा कारख़ाना प्रबन्धक के कार्यालय को भी एक प्रति सूचनार्थ देनी होगी उसके उपरान्त ही स्बंधित माह के बिल की अदयगी की जाएगी |

32-रेजिन सक्की अनुभाग में रेजिन सक्की बिस्लेषण के लिए भी रेजिन टिन सफल निबिदादाता को ही डालने होंगे इसके लिए सफल निबिदादाता को दो मजदुर प्रतिदिन रेजिन सक्की बिस्लेषण के लिए देने होंगे जो की

रेजिन फीडिंग, साफ सफाई व वाशिंग चैम्बर के लिए उपलब्द करवाए मजदूरों के अतिरिक्त होंगे | बिस्लेषण के लिए प्रयुक्त दोनों केटलों की सफाई, रेजिन सक्की अनुभाग में फ्लोर की सफाई व निचे विखरे रेजिन को इकटा करने का कार्य भी सफल निविदादाता को ही करना होगा | अगर सफल निविदादाता रेजिन सक्की बिस्लेषण के लिए मजदुर उपलब्द नहीं करवाता है या कम उपलब्द करवाता है तो 500/- रुप्रति दिन कम मजदुर के लिए पेनल्टी लगाई जाएगी व बिल से काट ली जाएगी |

- 33-अगर ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा काम पर लगाये मजदूरों की बजह / कारण से रेजिन , तारपीन तेल या अन्य किसी समान ,बस्तु या उत्पाद का नुकशान या वेस्टेज होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार से उसके निर्धारित मूल्य जो प्रभावी होगा के अनुसार की जाएगी तथा ठेकेदार को देय किसी भी राशी से की जा सकती है |
- 34- रेजिन स्टोर के बाहर से लेकर रेजिन पिट के फ्लोर तक जिसमें ट्राली ट्रैक व टर्निंग ट्रैक भी समिलित है पर जो भी रेजिन बिखरेगा उसे प्रतिदिन इकठा करके टीनों में भरना होगा तथा डर्टी रेजिन के साथ फीड करना होगा | दोनों स्टीम चैम्बर की सफाई भी सफल निविदादाता को ही करनी होगी |
- 35-बिरोजा रहित टिन ठेकेदार को बाहर बताये हुए स्थान / जगह पर फेंकने होंगे अगर ठेकेदार खाली टीनों को अपनी सहूलियत अनुसार पाइप की लाइन के साथ साथ फेंकता है और वहां टीनों का ढेर इकठा होता है तथा आगे जगह खाली रहती है और उत्पादन में बाधा आती है तो इन टीनों को वहां से आगे ठेकेदार को अपने स्तर पर फेंकना होगा जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त बिल नहीं दिया जायेगा | अगर ठेकेदार टीनों को आगे फेंकने का कार्य नहीं करता है तो यह कार्य बाहर से मजदूर बुलाकर करवाया जायेगा तथा कार्य के बिरुद्ध जो राशी बन निगम द्वारा दी जाएगी उसकी पूर्ति ठेकेदार को देय किसी भी राशी से काट कर की जाएगी |
- 36-सफल निविदादाता को रेस्ट वाट्स नम्बर आठ की डर्टी को हौदियौं से टीनों में भरना होगा तथा प्रोडक्शन सेक्शन के बाहर फोरमेन/ सुपरवाइजर व अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशानुसार रखना होगा तथा उसमें से रेजिन छांटकर रेजीन पिट में डालना, मिक्स वाट में रेजीन चढाना, गर्म करना व ग्रेविटी फिल्टरों में फिल्टर करना ,रेजीन रेस्ट वाट्स मैं चढाना होगा जिसके लिए उसे इस निविदा की स्वीकृत दर का पचास प्रतिशत (यानि आधा रेट) के अनुसार अलग से भुगतान किया जायेगा, लेकिन देय राशी का भुगतान पिट मैं भरान की मात्रा के अनुसार किया जायेगा ,पुरे पिट में 400 टीनों का भरान आता है व प्रति टिन का भरान लगभग 17 किलो ग्राम माना जायेगा | हर प्रकार की रेजिन डर्टी ठेकेदार को ही टीनों में इकठी करनी होगी व निर्देशानुसार इसकी फीडिंग भी करनी होगी |
- 37-रेजीन पिट में रेजीन ना डालने के कारण उत्पादन में बाधा आती है तो ठेकेदार को पांच रुपये प्रति टीन पहली बार कम डाले गए टीनों के बदले मुआबजा अदा करना होगा | अगर सफल निविदादाता कारखाना की मांग अनुसार कार्य नहीं कर पाया तथा दूसरी बार पुनः दोहराता है तो रेजिन फीडिंग के लिए प्रति टिन जो दर स्वीकार होगी, उसी दर अनुसार, कम की गई रेजिन की फीडिंग के लिए प्रति टिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी | पेनल्टी की राशी, निबिदादाता को देय किसी भी राशी से की जा सकती है | अगर निबिदादाता कारखाना की मांग अनुसार फीडिंग नहीं कर पाया व कारखाना के उत्पादन में तीन बार से ज्यादा बार बाधा आती है तो वर्क अवार्ड कैंसिल कर दिया जायेगा व प्रतिभूति राशी रू. 150000/- जो निबिदा के बिरुद्ध जमा होगी उसे बन निगम के लिए जब्त कर लिया जाएगा |
- 38-अगर सफल निविदादाता, निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा की गई धरोहर राशी निगम के खाते में जब्त कर ली जाएगी |

- 39-फीडिंग ऑफ रेजीन का कार्य रेजिन की उपलब्धता तथा जरूरत के अनुसार करवाया जाएगा | कार्य की मात्रा, रेजिन टिनों का भरान आदि कारखाना में खराबी या मार्किट मुनासिब न होने पर या किसी अन्य कारण, शून्य या बहुत कम की जा सकती है, जिसके लिये वन निगम किसी भी तरह जिमेबार नहीं होगा व सर्फेल निबिदादाता इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम करने का अधिकारी नहीं होगा |
- 40-टीनों से रेजिन की पिट मैं फीडिंग के दौरान या सक्की बिस्लेषण के दौरान जो रेजिन फ्लोर पर बिखरेगा उस रेजीन (फ्लोर वाशिंग डर्टी) को और टीन वाशिंग से इकठा किया रेजिन टीनों में जमा करके फोरमेन/ सुपरवाइजर द्वारा बताए स्थान पर आदेशानुसार रखना होगा तथा इस फ्लोर वाशिंग व टीन वाशिंग डर्टी को पिट / रेस्ट वाट्स में भरना होगा जिसके लिए सफल निविदादाता को अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा ,डर्टी हर माह के अंतिम सप्ताह ,या जनरल मेनेजर या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी के आदेशानुसार डालनी होगी |
- 41- सफल निविदादाता को फेक्ट्री एक्ट व लेबर एक्ट के तहत सुरक्षा से संबंधित जरूरी उपकरण जैसे मास्क, वर्किंग ड्रेस (वर्दी), साबुन, सरसों तेल इत्यादी व मेडिकल फर्स्ट ऐड के तहत आवश्यक सुरक्षा सामान का स्टॉक हर समय रखना पड़ेगा तथा अन्य सुबिधायें जो देय बनती है, अपने मजदूरों को अपने खर्चे पर उपलब्द करबानी होगी।
- 42- उत्पादन शाखा में व रेजिन सक्की अनुभाग में रेजिन सक्की बिस्लेषण के दौरान जो भी शक्की निकलेगी उसे सक्की फ़िल्टर मैं गर्म करना, रेडे मैं डालना, सक्की सेक्शन में ले जाकर तोलना तथा सक्की को डंपिंग साईट में डालने का कार्य भी सफल निविदादाता को करना होगा | फ़िल्टर में सक्की गर्म करने से जो रेजिन फ़िल्टर होकर निकलेगा उस रेजिन को मिक्स वाट न. 3 में प्रोसेसिंग के लिए सफल निबिदादाता को डालना होगा |

अगर सफल निबिदादाता, निबिदा की उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो जमा करवाई गई प्रतिभूति राशी हिमाचल प्रदेश स्टेट फारेस्ट डिवेलोपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष

में जब्त कर ली जाएगी |

मैंने हमने सभी शर्तों को /ध्यान पूर्वक पढ़ है हमे मंजूर/ सुन लिया है व मुझे / हमे मंजूर है अ